

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

एफ 89(27) उ.मा.वि./अध्यक्ष सदस्य/2025-00489

जयपुर, दिनांक:-यथाहस्ताक्षरित

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा-28 उपधारा (2) खण्ड (ख) के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम में अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम-06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना एफ 89(22) उ.मा.वि./उ.स./2021-III दिनांक 19.02.2022 एवं विभागीय अधिसूचना एफ 89(22) उ.मा.वि./उ.स./2021-III दिनांक 09.03.2022 के द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य पद पर 4 वर्ष की अवधि या उनके 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया था:-

1. श्रीमती सरोज शर्मा
2. श्री दिनेश चतुर्वेदी
3. श्रीमती सविता सिंघल
4. श्रीमती जय श्री शर्मा

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 9982/2024 (GaneshKumar Rajeshwarrao Selukar and Ors. Vs. Mahendra Bhaskar Limaye and ors.) में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2025 के आलोक में उक्त चारों सदस्यों का कार्यकाल, नवीन नियुक्ति होने या नियम संशोधित होने तक या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अम्बरीष कुमार)
शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उपभोक्ता मामले, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
6. अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
7. महालेखाकार परीक्षक, (महालेखाकार), राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
9. पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
12. समस्त जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
13. निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
14. संबंधित सदस्य, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव (उपभोक्ता मामले)